हिंदी दिवस

के

अवसर पर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

का संदेश

दिनांक : 14 सितंबर, 2023

(एक महारत्न कंपनी)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली

संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

हिंदी भाषा की उपमा बहती धारा से की जा सकती है। जब कोई धारा अपने मूल रूप से निकलती है तो उसका लघु स्वरूप ही हुआ करता है। फिर जैसे–जैसे यह धारा आगे–आगे बढ़ती जाती है, उसका स्वरूप अपने स्वरूप से विशालतम होता जाता है। ऐसा रूप धारण करने से अन्य धाराएं भी उसमें आ मिलती हैं।

हिंदी भाषा की विकास धारा भी इसी प्रकार की है। हिंदी भाषा ने भी अपने स्वरूप निर्माण और विकास के लिए अपने शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए अपने विशाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी प्रदेशों की बोलियों और भाषाओं में से आवश्यकतानुसार हजारों शब्दों को लेकर अपने शब्द भंडार को समृद्ध किया। इस प्रकार हिंदी संविधान सम्मत राजभाषा होने के साथ–साथ राज्यों/प्रदेशों से संपर्क भाषा की भी मान्यता रखती है। हिंदी भाषा की इसी ऊर्जा को हमारे निगम ने भी संजोया है।

स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे निगम में भी हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस व 14 सितंबर से एक माह तक हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है ।

संघ सरकार की राजभाषा नीति, जिसके अंतर्गत विविध प्रकार के सांविधिक और संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जिनका अनुपालन करना हम सभी का दायित्व है । राजभाषा नीति से हमारे निगम का प्रत्येक कार्मिक भली–भाँति परिचित है।

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के क्षेत्र में कुछ कार्यों का यदि मैं उल्लेख करूं तो हिंदी की प्रमुख उपलब्धियों में यह वर्ष एक बार फिर से हम सबके लिए बहुत खास है क्योंकि वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कारों की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में पीएफसी को राजभाषा विभाग द्वारा तृतीय पुरस्कार मिला है। राजभाषा के क्षेत्र में यह हमारे निगम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कार हम लगातार दस वर्षों से प्राप्त करते आ रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए राजभाषा यूनिट के साथ–साथ आप सभी सराहना और बधाई के पात्र हैं।

वर्ष 2022–23 की अन्य उपलब्धियों से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी –

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे निगम को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए एवं हिंदी सलाहकार समिति के सफल आयोजन हेतु वर्ष 2022–23 के लिए ''राजभाषा सम्मान'' से सम्मानित किया गया।
- राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–1) द्वारा प्रथम प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- निगम में हिंदी माह के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें कार्मिकों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। अक्तूबर 2022 में हिंदी माह के दौरान ''महाभारत–एक अमरकथा'' नाटक का आयोजन किया गया।
- दिसंबर, 2022 में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, माननीय संयोजक, दूसरी उप समिति, संसदीय राजभाषा समिति के साथ बैठक हुई। इस बैठक में निगम में राजभाषा नीति कार्यान्वयन हेतु किए गए कार्यों की सराहना की गई।
- निगम में राजभाषा यूनिट द्वारा निगम की विभिन्न यूनिटों में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के उद्देश्य से आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। निगम के कार्मिकों के साथ निजी संपर्क स्थापित कर उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही निगम की यूनिटों का आंतरिक राजभाषा निरीक्षण भी किया जाता है।
- हमारे निगम में लागू विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में भी कार्मिक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान 275 कार्मिकों को उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया, जो कार्मिकों में हिंदी के प्रति उनकी बढ़ती रुचि और हिंदी में कार्य करने के उत्साह का द्योतक है। केवल कार्मिक ही नहीं, कार्मिकों के बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं कक्षा में हिंदी में मैरिट में आने वाले 06 कार्मिकों के बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया।
- जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य भी कार्मिकों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने और बढ़ाने का एक सार्थक माध्यम है। इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष भी सभी कार्मिकों को जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक "कामायनी" वितरित की गई।
- वर्ष 2022–23 के दौरान निगम में अलग–अलग स्तर के कार्मिकों के लिए विभिन्न विषयों पर 6 हिंदी कार्यशालाओं और 01 संगोष्ठी/सेमिनार का आयोजन किया गया, जिनमें 336 कार्मिक लाभान्वित हुए।
- निगम द्वारा वर्ष 1993 से एक त्रैमासिक गृह–पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। समय–समय पर इस पत्रिका के विशेषांक जैसे संस्कृति विशेषांक, पावस विशेषांक, राजभाषा विशेषांक, वसंत विशेषांक, भारत की महान विभूतियाँ विशेषांक, गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर विशेषांक, स्वाधीनता सेनानी विशेषांक, योग विशेषांक भी प्रकाशित किए गए हैं। इस वर्ष भी गृह–पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' के चार अंक प्रकाशित किए गए। प्रत्येक अंक को हमने विभिन्न साहित्यिक और राष्ट्रीय आयामों का समावेश कर नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिंदी माह के अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आशा है इस वर्ष भी आप सभी उत्साहपूर्वक इन विविध कार्यक्रमों में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे ।

मुझे प्रसन्नता है कि निगम के सभी कार्मिक अपना कार्यालयी कार्य हिंदी में कर रहे हैं और पीएफसी में हिंदी में काम करने का एक सकारात्मक वातावरण बना है यद्यपि हमारा लक्ष्य शत–प्रतिशत काम हिंदी में करने का है। अतः मुझे विश्वास है कि पीएफसी की उत्कृष्ट कार्य–शैली के अनुरूप, राजभाषा के क्षेत्र में भी अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन करके आप इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।

तो आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह और लगन के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे तथा सामूहिक, सार्थक और सतत् प्रयासों से अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

हिंदी दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(परमिंदर चोपड़ा)

भाषा के आधार पर क्षेत्रवार वर्गीकरण

राजभाषा के प्रचार–प्रसार और व्यवहार को समुचित बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण देश को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

Region	States/Union Territories falling in the Region
'A'	Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand and National Capital Territory of Delhi and Andaman & Nicobar Islands Union Territory.
'B'	Gujarat, Maharashtra and Punjab and Union Territories of Chandigarh, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli.
'C'	All other States or Union Territories not included in the 'A' and 'B' Regions.